## वित्त मंत्रालय

## (व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2018

**सा.का.नि. 337.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग (प्रभागीय लेखा अधिकारी श्रेणी –II) भर्ती नियम 2002 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में प्रभागीय लेखा अधिकारी श्रेणी–II के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग, (प्रभागीय लेखा अधिकारी श्रेणी–II) भर्ती नियम, 2018 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध्द करना अपेक्षित है ।

## अनुसूची

| पद का नाम | पद की संख्या | वर्गीकरण |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. प्रभागीय लेखा अधिकारी श्रेणी–II | 1190*<br>(2018)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय |

| वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन या अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा |
|---|---|---|
| (4) | (5) | (6) |
| स्तर-7, (44900-142400 रु.) । | चयन | लागू नहीं होता |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा मे लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो । | भर्ती की पद्धति भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा |

| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा |
|---|
| (11) |

**प्रोन्नति :** वेतन मैट्रिक के स्तर -6, (35400-112400 रु.) में ऐसे प्रभागीय लेखाकार जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है और जो विभाग द्वारा यथा विहित दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो ।

**टिप्पण :** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

**प्रतिनियुक्ति :- केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :—**

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है ; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पाँच वर्ष सेवा की है; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित अर्हताओं में से कोई एक अर्हता हो :—

(i) केंद्रीय सरकार के किसी संगठित लेखा विभाग द्वारा संचालित अधीनस्थ लेखा सेवा या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण किया हो;

(ii) सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान या समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में रोकड़ और लेखा कार्य में प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो और रोकड़, लेखा और बजट कार्य में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो ।

**टिप्पण 1 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नही होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र

नहीं होंगे।

**टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारण तया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों मे संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|
| (12) | (13) |
| **समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगेः—**<br>1. प्रधान महालेखाकार या महालेखाकार की पंक्ति का एक काडर नियंत्रण अधिकारी -अध्यक्ष<br>2. ज्येष्ठ उप महालेखाकार या उप महालेखाकार की प्रशासन समूह का पंक्ति का एक अधिकारी -सदस्य<br>3. ज्येष्ठ उप महालेखाकार या निदेशक या उप महालेखाकार या उप निदेशक की पंक्ति का कोई एक अधिकारी (ऐसे कार्यालय से भिन्न कार्यालय से जिसमें प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो) -सदस्य | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है। |

[फा.सं.-ए. 12018/03/2013-ई.जी]

निर्मला देव, उप सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

### (Department of Expenditure)

New Delhi, the 11th October, 2018

**G.S.R. 337.—**In exercise of the powers conferred by clause (5) of article 148 of the Constitution and in supersession of the Indian Audit and Accounts Department, (Divisional Accounts Officer Grade-II) Recruitment Rules, 2002, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President, after consultation with the Comptroller and Auditor General of India, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Divisional Accounts Officer Grade-II, in the Indian Audit and Accounts Department, namely:—

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Indian Audit and Accounts Department (Divisional Accounts Officer Grade-II) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.—**The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.—**No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Comptroller and Auditor General of India may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Comptroller and Auditor General of India is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government of India from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| Name of the post | Number of post | Classification | Level in the pay matrix |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Divisional Accounts Officer Grade-II | 1190* (2018)<br>*Subject to variation dependent on workload | General Central Service, (Group 'B') Non-Gazetted, Non-Ministerial | Level -7<br>(Rs. 44900-142400/-) |

| Whether Selection or Non-Selection post | Age-limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees |
|---|---|---|---|
| (5) | (6) | (7) | (8) |
| Selection | Not –applicable | Not –applicable | Not –applicable |

| Period of probation, if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled up by various methods |
|---|---|
| (9) | (10) |
| Not –applicable | By Promotion failing which by deputation |

| In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made |
|---|
| (11) |
| **Promotion:**<br>Divisional Accountant, in level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix with five years regular service in the Grade and having successfully completed two weeks training as prescribed by the Department.<br>**Note:** Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.<br>**Deputation:**<br>**Officers under the Central Government:—**<br>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or<br>(ii) with five years' service in the Grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level-6 (Rs. 35400-112400/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and<br>(b) possessing any one of the following qualifications:<br>(i) A pass in the Subordinate Accounts Service or equivalent examination conducted by any of the organised |

accounts department of the Central Government;

(ii) successful completion of training in the cash and accounts work in the Institute of Secretariat Training and Management or equivalent training course and a minimum of three years experience in Cash, Accounts and Budget work.

**Note 1 :** The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

**Note 2** : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

**Note 3 :** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

| If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment |
|---|---|
| (12) | (13) |
| **Group 'B' Departmental Promotion (for considering Promotion) Committee consisting of:—**<br>1. Cadre Controlling Authority in the rank of Principal Account General or Accountant General - Chairperson<br>2. Officers of the rank of the Senior Deputy Accountant General or Deputy Accountant General in Charge of Administration Group -Member; and<br>3. Any other officer of the rank of Senior Deputy Accountant General or Director or Deputy Accountant General or Deputy Director (From an office other than the one in which promotions are considered) -Member. | Consultation with Union Public Service Commission not necessary. |

[F. No. A-12018/03/2013-E.G.]

NIRMALA DEV, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2018

**सा.का.नि. 338.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग (प्रभागीय लेखा अधिकारी श्रेणी–I) भर्ती नियम 2002 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में प्रभागीय लेखा अधिकारी श्रेणी–I के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग, (प्रभागीय लेखा अधिकारी श्रेणी– I) भर्ती नियम, 2018 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।